

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी

अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या — 01 / 2020-21  
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)

1. कार्य का विवरण —

| युप सं. | कार्य का नाम                                                                                                                            | प्राक्कलित राशि (लाख ₹0 में) | अग्रधन की राशि (लाख ₹0 में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल/मैनुअल मोड में भुगतान) | परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतान) ₹0 में | बेल्ड्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतान) ₹0 में | कार्य समाप्ति की अवधि/ तिथि |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                       | 3                            | 4                                                                       | 5                                                                           | 6                                                                                       | 7                           |
| 01      | बागमती बाँया तटबंध के चेन 1.74 से 23.00 कि०मी० के 700 मी० में कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर ढाला एवं स्लोप पिचिंग कार्य | 238.06                       | 4.77                                                                    | 10,000                                                                      | 5900                                                                                    | 15.05.2020                  |

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक: 20.04.2020
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक: 28.04.2020 से दिनांक-29.04.2020 के 3.00 बजे अपराह्न तक  
(सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
4. प्री-बीड मिटींग की तिथि एवं स्थान : मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में 28.03.2020 को अपराह्न 3:00 बजे।
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक: 30.04.2020 समय 3.00 बजे अपराह्न तक।  
(सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
6. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक : 05.05.2020 समय 3.30 बजे अपराह्न।  
(सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
7. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी  
(सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
8. निविदा खोलने का स्थान : [eproc.bihar.gov.in](http://eproc.bihar.gov.in) पर
9. निविदा की वैधता अवधि ( निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से) : 120 दिन
10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी ।
11. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) एवं वेबसाइट [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है ।
12. कोई भी संवेदक, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद अनिवार्य होगा।
13. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
14. ई- निविदा मात्र वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
15. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।  
राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।





माध्यम से जमा किया जा सकता है।

Physical mode/ Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स डिपोजिट कारसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो / डाकघर बचत पासबुक, एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/ राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/ पांच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी के पदनाम से निर्गत/विधिवत प्रतिज्ञित कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिये बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के बीच निर्गत हो, बिड के मान्य अवधि (120 दिन + 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा) इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग प्रमण्डल, सं०-17 जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना के कार्यालय में दिनांक 04.05.2020 के 3.00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ख) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

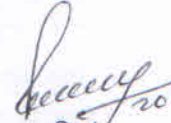
(ग) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/ Manual Payment System में स्वीकार होगा।

(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".

16. संवेदक द्वारा अग्रधन के रूप में जामा राशि का प्रमाण पत्रों पर स्पष्ट विधिवत प्रतिज्ञित कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी का नाम अंकित होना अनिवार्य है। संक्षिप्त नाम से प्रतिज्ञित होने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
17. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
19. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
21. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
22. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12:00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि विस्तारित करने पर विचार किया जाएगा।
23. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
24. संवेदक का जी०एस०टी० निबंधन अनिवार्य होगा तथा समय-समय अनुमान्य जी०एस०टी की कटौती विपत्र से की जाएगी।
25. खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-3387/एम. दिनांक-27.09.2019 एवं अधिसूचना संख्या 3947/एम. दिनांक-15.11.2019 एवं जल संसाधन विभाग का पत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 प्रभावी होगा।
26. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन पटना (0612-2235241) एवं सहायता कक्ष, एम/22, रोड नं०-25, प्रथम तल्ला, बैंक ऑफ इण्डिया भवन, श्रीकृष्णानगर, पटना से दूरभाष संख्या -7542028164 एवं 0612-2523006 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
27. निविदित दर, Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee, पथ निर्माण



- विभाग, पटना के पत्रांक 447 (s) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
28. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
  29. निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 449(s) दिनांक 16.01.2020 के एवं जल संसाधन विभाग, के पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 में निहित प्रावधान लागू होगा।
  30. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
  31. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
  32. जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536 दिनांक 13.06.2013 के अनुरूप नोटराईज्ड शपथ पत्र जो कार्य विशेष के लिए निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।
  33. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
  34. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
  35. जल संसाधन विभाग के पत्रांक 200 दिनांक 14.03.2016 एवं 274 दिनांक 18.04.2016 एवं 704 दिनांक 03.08.2018 में निहित प्रावधान लागू होगा।
  36. जल संसाधन विभाग के निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा अर्थात्
    - (i) बाढ़-2020 पूर्व कटाव निरोधक कार्यों/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्य स्थल पर बाढ़ अवधि 2020 में कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी।
    - (ii) बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा बालू, फिल्टर मेटेरियल, (ई0सी0 बैग, जियो बैग, मेगा जियो बैग इत्यादि) में बालू भरने तथा इसके भण्डारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त रीच में कटाव निरोधक कार्य के संवेदक की होगी।
    - (iii) निविदा समर्पित करते समय संवेदक द्वारा उपरोक्त कंडिक (i) एवं (ii) के कार्य करने पर सहमति संबंधी शपथ पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

  
20.04.2020  
कार्यपालक अभियंता  
बागमती प्रमण्डल, सीतामढ़ी